


| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------------------------|--|---|
| 18.02.22 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्राथी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 6.5.22 को पेश जवाब हेतु अंतिम अवसर दिनांक 19 | |
| 6.5.22 | पत्रावली पेश हुई 19.5.22 को पेश हुआ है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 23.6.22 को पेश हो। | |
| 23-6-22 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्राथी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 22-8-22 को पेश | |
| 22/08/22 | पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक रॉय द्वारा कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 21.10.2022 को पेश हो। पी.ओ. सा. को पेश है। | |
| 21/10/22 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्राथी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 9/12/22 को पेश | |
| | श्रीमान जिला कलेक्टर, प्रहो, जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी जोयनेर को प्रेषित की / जानी है। | |
| 9/12/22 | पत्रावली पेश हुई। वादी / प्राथी वादी आदि. उप.। परोकार साकार द्वारा जवाब उत्तर क्रिया गणा। पत्रावली वाले बरस दि. 16/12/22 को पेश हो। | |
| 16/12/22 | पत्रावली पेश हुई। वादी / प्राथी वादी आदि. उप.। परोकार साकार उप.। वादी आदिबन्हा द्वारा ग्राम खीरगा के खसरा नं० 121/3, 319/143, 373/272 एवं 383/273 की पट्टागारी कराये जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया। परोकार साकार एवं प्राथी वादी आदि. द्वारा बरस में उक्त खसरा नं. की भूमि के चारों दिशाओं के चारों तरफों को वादी द्वारा पत्तिका नटी बनाने जाये या आपत्ति उत्पन्न करने हुए |  |

उपखण्ड अधिकारी
जोयनेर, जयपुर


यालय

व्या

| | |
|---------------------------|----------------------|
| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---------------------------|----------------------|

उपरोक्त पत्र को कार्रवाई करने का निर्देश किया।

पत्रावली का अद्ययन - मगन किया, पत्रकारान की नदर पर भगन किया गया, परेकार सकार शर उचुत अवक को स्वीकार किया गया। शरकारन भू-यवक आदिनिपक 1956 की धार - 123 में उचुत उपरोक्त पत्र में आवेदित शर की प्रत्यगठी कार्य करने हेतु लगन दिशाओं के अन्तर्गत आवश्यक पत्रकार होने से पत्रकार बनाता वाग आवश्यक था प्रः उपरोक्त पत्र ~~सर्व~~ को आवश्यक पत्रकारों को पत्रकार नहीं बनाये जाने के कारण शरकारन पत्रने योग्य नहीं होने से एतु शर कार्रवाई किया जाता है। निम्निले जलालन में सुनाया गया। पत्रावली के लल शुभा होकर नगर से कर हो एवं लाल वफल हो।



16/12/2022
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

16/12/2022
17/12/2022
18/12/2022
19/12/2022
20/12/2022
21/12/2022
22/12/2022
23/12/2022
24/12/2022
25/12/2022
26/12/2022
27/12/2022
28/12/2022
29/12/2022
30/12/2022